सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2021/12 दर्ज तिथिः– 22.02.2021

1. चुन्नीलाल पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल जाति सुथार निवासी मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू।
2. ताराचंद पुत्र स्व गिरधारीलाल जाति सुथार जरिये मुख्यतयार राजकूमार पुत्र श्री चुन्नीलाल जांगिड़ चूरू
3. उमा पुत्री स्व. गिरधारीलाल जाति सुथार जरिये मुख्यतयार राजकूमार पुत्र श्री चुन्नीलाल जांगिड़ चूरू
4. हिरा पुत्री स्व. गिरधारीलाल जाति सुथार जरिये मुख्यतयार राजकूमार पुत्र श्री चुन्नीलाल जांगिड़ चूरू

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. बुद्धिप्रकाश पुत्र स्व. श्री गिरधारीलाल जाति सुथार निवासीगण मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– सुरेन्द्र जाखड़
अप्रार्थी :– अर्जुनसिंह

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त अनुवानी दावा श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीग्ण को सफलता मिलने की पूरी–पूरी संभावना है है।
2. यह कि प्रार्थीगण आपस में सगे भाई–बहन है। अप्रार्थी भी प्रार्थीगण का सगा भाई है। प्राथ्रना पत्र प्रार्थी सं. 02 ता 04 अपने मुख्यत्यार खसरा राजकुमार पुत्र चुन्नीलाल जाति सुथार जांगिड़ निवासी मोलीसर बड़ा तहसील व जिला चूरू के जरिये पेश किया जा रहा है। मुख्यार नामा खास की फॉटो कॉपी प्रार्थना पत्र के संलग्न की जा रही है।
3. यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की खतेदारी कब्जा काश्त की अन्य कृषि भूमियों के अलावा खसरा नम्बर 63 तादादी 1.5555 हैक्टेयर है, जो कि बीघा बिवश्वा के माप से 06 बीघा 03 बिश्वाा भूमि बनती है। रोही मौजा मालीसर बड़ा एवं अप्रार्थी के पिता स्व. गिरधारी ने अपने जीवनकाल में 01 बीघा 10 बिश्वा भूमि के रजिस्टर्ड बैनामा न होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में कम नहीं हुई नया खसरा सं. 63 की भूमि गांव की आबादी के चिपती हुई होने के कारण करीब 16 बिश्वा भूमि चारों दिशाओं मे अनाधिकृत रूप से अन्य आबाद लोगों ने दबा ली। इस दौरान प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो गई व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी ने अन्य कृषि भूमि के साथ्साथ वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 63 जो राजस्व रिकॉर्ड में 6 बीघा 03 बिश्वा थी व मोके पर करीब 77 बिश्वा भूमि शेष रही का बाहमी बंटवारा किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थी के प्रत्येके सवा 15–सवा विश्वा भूमि हक हिस्सा व पांति में आई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि वादगत भूमि खसरा नम्बर 63 का बाहमी बंटवारा करने क बाद अप्रार्थी अपने हक हिस्सा व पोंति में आंई सपूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 18.12.2025 को अप्रार्थी सं. 04 को विक्रय कर दी । इस प्रकार से वादगत भूमि खसरा सं. 63 में अप्रार्थी सं. 01 का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है।

5. यह कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 63 में से 01 बीघा 10 बिश्वा भूमि जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पिता द्वारा बही व स्टांप पर लिखा–पढी करवाकर गांव के दो अन्य लोगों को बैय कर दी तथा करीब 16 बिश्वा ूमि अन्य लोगों द्वारा दबा ली गई जो राजस्व रिकॉर्ड से कम नहीं हुई जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन देखकर मौके पर अप्रार्थी सं. 01 की कोई भूमि न होते हुए भी दखल अंदाजी करता रहता है। मौका के वपिरीतबने राजस्व रिकॉर्ड आधार बप बैय करने की धमकी देता रहता है। प्रार्थीगण को उनके हक, हिस्सा में पांति में आई हुई भूमिपर तारबंदी, बाड़ पत्थरगढी बगैरह करने से मकरा करता रहता है एवं एवं लडाई–झगडा करने लगता है साथि ही जान से मारने की धमकियां देता है मौका स्थिति के वितपरीत चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी का नाम हटवाये और इस आश्या का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवयें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा हासिल करे कि वो मौके के विपरीत दखल न करे नही प्रार्थीगण को बाउ खाई तारबंदी पत्थरगढी व काश्त करने से रोके वा नाही किसी भी तरीके से हस्तांतरण बगैरह करे इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश किया जा रहा है।

6. यह कि उक्त खसरा नम्बर 63 गांव की आबादी के चिपते ही है जिसके चारों ओर लगभग आवासीय मकानात बना लिये गये है। इस कारण पूर्व में भी 16 बिश्वा भूमि कम हो गई ाी, आगे भी चारो ओर से भूमि कम होने का पूरा अंदेशा है, ऑपन स्पेश होने से साथ ही ग्रामीणों द्वारा इसमें कूडा कचरा डाला जा रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है जिस कारणस अपनी भूमि को सुरक्षित करने हेतु प्रार्थीगण इसके चारों ओर तारबंदी करना चाहते हैं लेकिन अप्रार्थी अपनी भूमि बताकर लड़ाई–झगड़े पर उतारू हो जाता है। इस कारण भी अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना अति आवश्यक है।

7. यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी, काश्तकारी की अपने हिस्सा की शेष भूमि होने से तथा चारों ओर से आबादी बसी होने से अपनी कृषि भूमि सुरक्षित करने के लिए ताडबंदी, बाउंड्री की जानी आवश्यक होने से प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है।

8. यह कि उक्त कृषि भूमि आबादी क्षेत्र में होने से पूर्व में भी 16 बिश्वा भूमि चारों ओर से कम हो चुकी है व लोगों द्वारा दबा ली गइ है। इसी प्रकार का धीरे–धीरे चारों ओर आबाद लोगों द्वारा भूमि दबाने की वजह से प्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति हो रही है एवं इस कृषि भूमि लोग कचरा कूड़ा गंदगी डाल रहे हैं जिससे भूमि बंजर भी हो रही है तथा गंदगी की वजह से काफी असुविधा हो रही है इस कारण सुविधा का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष मे बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधारा पाबंद किया जाये कि वह प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 63 में किसी प्रकार से कोई दख लना दे ना ही तारबंदी बाउंड्री करने से रेके ना ही किसी अन्य को ऐसा कार्य उपकार्य करने दे जिससे प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार का कोई नुकसारन हो। ना ही किसी प्रकार से इसमें कोई हसतांतरण बेचना रहन या कब्जा न किसरी अन्य से करे न करावें।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हो [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी सं. 01 की [illegible] हुए काफी अवसर दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested

जाने बावजूद भी इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए इनका जवाब बंद किया जाकर अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद रूप से परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 63, रोही मोलीसर बड़ा, तहसील व जिला चूरू में स्थित है, जिसका कुल रकबा 1.5555 हैक्टेयर (लगभग 06 बीघा 03 बिश्वा) है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि उक्त खसरा संख्या 63 में पक्षकारों के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका था तथा प्रत्येक सह–खातेदार का 1/5 हिस्सा निर्धारित था। खसरा संख्या 63 का कुल रकबा : 1.5555 हैक्टेयर बुद्धिप्रकाश का 1/5 हिस्सा 1.5555 ÷ 5 = 0.3111 हैक्टेयर (लगभग) पत्रावली में संलग्न विक्रय–पत्र के अवलोकन से यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्धिप्रकाश द्वारा अपने हिस्से की सम्पूर्ण लगभग 16 बिश्वा भूमि (जो लगभग 0.31 हैक्टेयर के समकक्ष है) का विक्रय भंवर कंवर के पक्ष में कर दिया गया है। अतः, उक्त विक्रय के पश्चात् खसरा संख्या 63 में बुद्धिप्रकाश का वास्तविक शेष हिस्सा शून्य (Nil) रह जाना चाहिए था। परन्तु, दूसरी ओर, राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) के अवलोकन से यह विरोधाभासी स्थिति सामने आती है कि कुल 8.3213 हैक्टेयर भूमि में बुद्धिप्रकाश का 879/4795 हिस्सा दर्शाया गया है। उक्त हिस्से का क्षेत्रफल गणना अनुसार 8.3213 879 / 4795 ≈ 1.52 हैक्टेयर (लगभग) जबकि खसरा संख्या 63 का कुल रकबा ही 1.5555 हैक्टेयर है, और उसमें से बुद्धिप्रकाश अपना पूरा 1/5 हिस्सा पहले ही विक्रय कर चुका है। इस प्रकार, जमाबंदी में दर्शाया गया हिस्सा न केवल विक्रय–पत्र एवं मौके की वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता, बल्कि खसरा संख्या 63 के कुल रकबे के लगभग बराबर प्रतीत होता है, जो प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटिपूर्ण, विसंगत एवं संदिग्ध है।

उपरोक्त तथ्यों, गणनाओं एवं दस्तावेजों के आधार पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बुद्धिप्रकाश द्वारा खसरा संख्या 63 में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा विक्रय किया जा चुका है। विक्रय के पश्चात् खसरा संख्या 63 में बुद्धिप्रकाश का कोई वास्तविक हक–हिस्सा शेष नहीं बचता। जमाबंदी में 8.3213 हैक्टेयर में 879/4795 हिस्सा दर्शाया जाना मौके की स्थिति, विक्रय–पत्र एवं गणनात्मक तथ्य से मेल नहीं खाता। मात्र उक्त त्रुटिपूर्ण राजस्व प्रविष्टि के आधार पर अप्रार्थी द्वारा दखल–अंदाजी की संभावना से प्रार्थीगण को गंभीर एवं अपूरणीय क्षति हो सकती है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उपरोक्त तथ्यों का प्रथम दृष्टया खंडन नहीं हो सका।

आदेश है कि

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 63, रोही मोलीसर बड़ा, तहसील व जिला चूरू के मौका एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.02.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:49 IST
Reason: SelfAttested